



2026:AHC-LKO:14320-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

रिट - सी संख्या - 1744 सन 2026

सविता राव

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव सहकारिता विभाग लखनऊ
एवं 4 अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : सरजू राम, प्रशांत शेखर, वेद प्रकाश शर्मा

प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन राँय

माननीय न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी

1. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सरजू राम और राज्य के विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री एस.के. भट्ट को सुना।

2. याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित राहत की मांग करते हुए यह रिट याचिका दायर की है:-

" i. परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को 'मत्स्य संबरधन सहकारी समिति लिमिटेड दरवान, मत्स्य सहकारी समिति (अनुलग्नक संख्या-1 में दी गई)' के पंजीकरण/गठन की अनुमति देने के लिए न्याय के हित में जारी किया जाए।"

3. उत्तर प्रदेश सरकार के मत्स्य निदेशालय में मत्स्य सहकारी समितियों के उप निबंधक, याचिकाकर्ता के मत्स्य सहकारी समिति के रूप में पंजीकरण के आवेदन पर सरकार के कानून और नीति के आलोक में विचार करें और एक स्पष्ट आदेश द्वारा निर्णय लें, जब तक कि ऐसे आवेदन पर पहले ही विचार

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

और निर्णय न लिया गया हो, ऐसी स्थिति में यह निर्णय याचिकाकर्ता को सूचित किया जाए। दोनों ही स्थितियों में, संबंधित अधिकारी तीन सप्ताह की अवधि के भीतर आवश्यक कार्रवाई करें।

4. यह स्पष्ट किया जाता है कि हमने याचिकाकर्ता के सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत होने के अधिकार पर कोई निर्णय नहीं दिया है, जिस पर संबंधित पंजीकरण प्राधिकरण को उपरोक्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए विचार करना होगा।

5. उपरोक्त टिप्पणियों/निर्देशों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

[न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी]

[न्यायमूर्ति राजन राय]

फ़रवरी 23, 2026

आर.के.पी/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।